

'प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण (वर्ष 2019)

- अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो - डॉ० सुरेन्द्र सिंह भण्डारी
- वर्तमान धारित पद- अपर संचालक, संचालनालय, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं, तृतीय तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश (मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग)
- वर्तमान वेतन रूपये 01,65,400 + डी.ए. एवं नियमानुसार अन्य भत्ते
- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01 जुलाई 2020

क्र.	उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो।	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया "खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
		गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(अ) अचल सम्पत्ति (डॉ सुरेन्द्र सिंह भण्डारी, अपर संचालक, टीएडीपी की अचल सम्पत्ति दिनांक 31.दिसम्बर 2019 की स्थिति में)								
1.	ग्राम-देवपुरी सुनसारी, करचौड़ा, भिड़तौली एवं ग्राम-डांगतौली पटवारी क्षेत्र हरमनी तहसील - थराली, जिला-चमोली, उत्तराखण्ड, (पूर्व उ.प्र.)	3 निवास भवन 2 गौ शाला, भवन 4 कच्चे भवन। इनका उल्लेख कार्यालय आयुक्त आदिवासी विकास भोपाल में संधारित मेरी व्यक्तिगत नस्ती में पूर्व से उल्लेखित है।	क्रमांक एक में उल्लेखित पांचों ग्रामों में पैतृक कृषि एवं अन्य भूमियां तथा सम्पत्तियां।	वर्तमान में अनुमानित मूल्य लगभग 2.90 करोड़ से अधिक होगी।	स्वयं के नाम पर	पिता एवं माता दोनों पक्षों से विरासत में प्राप्त	लगभग 50,000 रुपये इस राशि से सम्पत्ति का मैन्टीनेन्स किया जा रहा है।	उल्लेखित सभी मकान एवं कृषि तथा अन्य भूमियों का उपयोग वर्तमान में मेरे रिश्तेदारों एवं अन्य सगे - सम्बंधियों द्वारा किया जा रहा है।
टीप: उपरोक्त सभी सम्पत्तियां मेरे मध्यप्रदेश में शासकीय सेवा में आने के पूर्व (अप्रैल-1987) से ही इन ग्रामों में विद्यमान हैं, मेरे द्वारा इसमें आज दिनांक तक (दिनांक 31.12.2019 तक) नवीन कुछ भी क्रय/विक्रय नहीं किया गया है।								
2.	ग्राम-बावडियाकला, खसरा नं. -428/1, 102 दीपक नगर वार्ड क्रमांक 53 जनपद पंचायत, फन्दा -होशंगाबाद रोड़ (असिमा मॉल के पास) जिला-भोपाल मध्यप्रदेश में मकान	वर्ष 1989 में शासकीय अनुमति से क्रय 30x50 =1500 वर्गफीट प्लॉट में वर्ष 2012 से भवन निर्माण कार्य प्रारंभ कर मार्च 2015 में पूर्ण।	निल	लगभग रुपये 1.20 करोड़	स्वयं के नाम पर	शासन द्वारा पत्र क्रमांक एफ 1161/971/2012/1/25, दिनांक 23.7.2013 से भवन निर्माण संबंधी सूचना ग्राह्य की गई है।	वित्तीय वर्ष 2019-20 में भवन किराये पर दिया गया है।	वित्तीय वर्ष 2019-20 के इनकम टैक्स में इसका उल्लेख किया जायेगा।

डॉ० सुरेन्द्र सिंह भण्डारी
23/1/2020

3.	201 बी ग्रान्डा, फोर्टलेजा अपार्टमेंट कल्याणीनगर, पुणे, महाराष्ट्र	2 B.H.K. वर्गफीट	770	फ्लेट किराये पर	लगभग 71 लाख	पुत्र दिग्विजय सिंह के नाम से	एस.बी.आई. कलेक्ट्रेट शाखा पुणे महाराष्ट्र से राशि रुपये 55.00 लाख ऋण लेकर माह फरवरी 2018 में कय किया गया है।	किराये से लगभग 3.84 लाख है। पुत्र द्वारा अपने इनकम टैक्स में उल्लेख किया जाएगा।	शासन आदेश क्रमांक एफ-4/45/2017/1-25, दिनांक 21 नवम्बर 2017
----	--	------------------	-----	-----------------	-------------	-------------------------------	--	---	--

टीप: 1. मध्य प्रदेश तथा भोपाल में उरोक्त के अतिरिक्त मेरी स्वयं की तथा पत्नी पुत्र एवं पुत्रियों के नाम से कोई अन्य जमीन, प्लाट, मकान, दुकान एवं अन्य कोई संपत्तियां नहीं है।
2. मेरे द्वारा भी अपने जी.पी.एफ. खाते से राज्य शासन से राशि स्वीकृत कर 17 लाख का सहयोग अपने पुत्र दिग्विजय सिंह को नेट बैंकिंग एवं भारतीय स्टेट बैंक शाखा सतपुडा भवन भोपाल के अपने वेतन के बैंक खाते के चैको के माध्यम से भुगतान किया गया है जिसकी जानकारी विभाग को पत्र दिनांक 26 फरवरी 2018 के द्वारा दे दी गई है जो सी.टी.डी. में मेरे सेवा अभिलेखों में संघारित है।

(ब) चल सम्पत्ति (डॉ सुरेन्द्र सिंह भण्डारी, अपर संचालक, टीएडीपी की चल सम्पत्ति दिनांक 31.12.2019 की स्थिति में)

1	2	3		5	6	7	8	9
		सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे	गृह तथा अन्य भवन					
	उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो।				यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया "खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1.	स्वीफ्ट-VXI वाहन मई 2012 में एक्सचेन्ज योजना के तहत जीवन मोटर भोपाल से क्रय किया गया।	एम.पी. 04-सी.जे. 8638 (पेट्रोल)	स्वयं के उपयोग हेतु वाहन	लगभग 3.50.00	स्वयं के नाम पर	दिनांक 10.9.2000 को शासन स्वीकृति एवं शासन से ऋण लेकर क्रय की गई मारुति 800 को एक्सचेन्ज योजना के तहत जीवन मोटर भोपाल से मई 2012 में क्रय की गई है।	माह सितम्बर 2019 में विक्रय कर ली गई है।	स्वयं की बचतों एवं एसबीआई उदयांचल ब्रांच भोपाल से रुपये 4.70 लाख ऋण लेकर क्रय की गई है। विभाग को यथासमय सूचना दी गई जिसका उल्लेख कार्यालय, आयुक्त आदिवासी विकास भोपाल में संघारित मेरी व्यक्तिगत नस्ती में पूर्व से उल्लेखित है।

नोट - दिनांक 13.09.2019 को मेरे द्वारा वर्ष 2012 को उपरोक्त क्रमांक-एक पर कय की गई मारुति स्वीफ्ट को राशि 2.75 लाख में वीर मोटर्स होशंगाबाद रोड भोपाल को कय की गई उक्त राशि को समाहित करते हुए मेरे पुत्र दिग्विजय सिंह द्वारा अपने स्वयं के नाम से TATA NEXON (नेक्शन) का वाहन क्रमांक MP-04 CX-6735 कुल राशि रुपये 9.95 लाख (नौ लाख पच्चीस हजार मात्र) में वीर मोटर्स, होशंगाबाद रोड भोपाल से कय की गई है, जिसमें मेरे पुत्र द्वारा राशि रुपये 3.50 लाख (तीन लाख पचास हजार रूपया मात्र) अपने icici बैंक पूणे महाराष्ट्र में वेतन खाते से गूगल-पे (Google-pay) के माध्यम से वीर मोटर्स कम्पनी को सीधे भुगतान किया गया है तथा शेष राशि भारतीय स्टेट बैंक बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल म.प्र. की शाखा से राशि रुपये 3.70 लाख (तीन लाख सत्तर हजार रुपये मात्र) का ऋण लिया गया। उपरोक्त वाहन को विक्रय करने की सूचना तथा पुत्र द्वारा नये वाहन कय करने की सूचना मेरे द्वारा दिनांक 05/10/2019 द्वारा CTD कार्यालय को दे दी गई है।


23/11/2020